न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–718/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. शिवकली देवी पति स्व0 भोला साह उम्र करीब 61 वर्ष
2. किरण देवी पति हीरालाल साह उम्र करीब 39 वर्ष
ग्राम–मुरला, थाना–रामगढ़वा, जिला–पूर्वी चम्पारण ....आवेदिकागण ।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदिकागण की ओर से – श्री मनोज कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक।
सूचिका की ओर से – श्री दिवाकर, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

11.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका/अभियुक्तागण शिवकली देवी एवं किरण देवी की ओर से रामगढ़वा थाना कांड संख्या–106/2019, धारा–341, 323, 307, 354/34 भा.दं.सं. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचिका रीता देवी का कथन है कि दिनांक 07.06.2019 को चार बजे शाम में उसका पति अपना गाड़ी सड़क पर खड़ा करके धो रहे थे उसी समय हीरालाल साह, शिवकालो दवी, हीरा साह की पत्नी उसके पति को आकर मारने–पीटने लगे तब आस–पास के लोगो के द्वारा उसे पता चला कि वे सभी व्यक्ति मिलजुल कर मार रहे है। तब वह अपने घर से दौड़ी आई तब तक उसके पति को पटक कर मार रहे थे तब वह अपने पति को बचाने का प्रयास की तो हीरा लाल साह की पत्नी उसका बाल पकड़ कर उसे पटक दिया और मारने लगी ठीक उसी समय हीरालाल साह आकर उसके गर्दन पर लात से दवा दिए और बोले कि इसको भी जान से मार दो इतना कहने पर सभी व्यक्ति उसे लात–मुक्का से मारने लगे और उसके शरीर पर कोई कपड़ा सही से नहीं था। उसका रामगढ़वा सरकारी असपताल में ईलाज कराया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि

आवेदिकागण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदिकागण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदिका/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि धारा– 307 एवं 354 भा.दं.सं. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। धारा– 307 भा.दं.सं. का आरोप इस मामले में नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक की किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी, न ही इस प्रकार का कोई जख्म कारित हुआ है। धारा– 354 भा.दं.सं. का आरोप इस मामले में आकर्षित नहीं होता है। उभय पक्ष आपस में पट्‌टीदार है तथा उनके बीच जमीनी विवाद है तथा जमीनी विवाद के कारण सूचिका द्वारा यह झूठा मामला दर्ज कराया गया है। आवेदिकागण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्‌तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदिकागण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके पति के साथ मारपीट कर जख्मी कर देने एवं सूचिका का बाल पकड़ कर पटक देने एवं गर्दन पर लात रखकर दबाने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका– 16 एवं 17 में सूचिका रीता देवी एवं उसके पति का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में सूचिका के नाक से खून बहना, पेडु, छाती के मध्य एवं पीठ में दर्द होना बताया है तथा जख्मी इन्दल साह के दाए हाथ के कलाई के पीछे वाला भाग में हल्का सूजन एवं दाएं बॉह पर खरोच होना बताया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–3 एवं कांड दैनिकी की कंडिका– 85 के अनुसार आवेदिकागण का कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति एवं आवेदिकागण का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति को ध्यान में रखते हुए आवेदिका/अभियुक्तागण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत

किया जाता है तथा आवेदिका/अभियुक्तागण शिवकली देवी एवं किरण देवी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 482(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदिकागण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 11.03.2026